राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

पत्रांकः एफ.8(1) आ.प्र.एवं सहा/बाढ़/2019/ 3401-50 जयपुर,दिनांक 2-5-19

परिपत्र

I. D. No. 342 /PS/CCE/B
Dated 21/5/19

दक्षिण–पश्चिम मानसून, वर्ष 2019 पूर्व की भांति राज्य में माह जून में सक्रिय होने की संभावना है। अतः राज्य में जलभराव/बाढ़ की सम्भावना को देखते हुए जन धन के सुरक्षात्मक उपाय हेतु उचित प्रबन्धन किया जाना आवश्यक है।

अतः यह निर्देश दिये जाते हैं कि विभिन्न विभाग निम्नलिखित कार्यवाहियां सुनिश्चित करेंगें :–

1. **मौसम विभाग** :– मौसम विभाग द्वारा एक स्थायी नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। मानसून की गतिविधियों की नियमित दैनिक जानकारी जिला कलक्टर्स, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को उपलब्ध करायेगें तथा डी.आर.एस.एस. स्टेशन पूर्णतः कार्यशील रखेंगे। वे वर्षा की सूचना नियमित रूप से इस विभाग को उपलब्ध करायेंगे तथा बाढ़ की सम्भावना में चेतावनी जारी करने हेतु राज्य स्तरीय आपदा नियन्त्रण कक्ष में तुरन्त सूचना प्रेषित करायेंगे।
2. **सिंचाई विभाग** :– सिंचाई विभाग 15 जून से बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित करेगा तथा बाढ़ या जलभराव की सम्भावना में प्रत्येक जिले के संवेदनशील एवं संकटग्रस्त क्षेत्रों का सामना करने के लिए कार्य योजना बनायेंगे, उपलब्ध वायरलैस सैटों को कार्यशील रखेंगे तथा नावों, रक्षा पेटियों, रस्सों, मशालों, टार्चों की व्यवस्था करायेंगे। प्रत्येक जिले में उपलब्ध संसांधनों को चिन्हित कर, उनकी आवश्यकता होने पर अन्य जिलों में तत्काल भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। गैर सरकारी संगठनों की पहचान कर उनके पास उपलब्ध संसाधन/सामग्री का सुनिश्चितीकरण कर आपदा की स्थिति में उनका उपयोग करने की व्यवस्था करायेंगे। वर्षाकाल में नदियां, नहरों, बांधों, तालाबों आदि पर निरन्तर भ्रमण करते हुए आने वाले संकट के विषय में अग्रिम चेतावनी देने का कार्य करेंगे। बांध के गेट खोलने वाले तथा तकनिकी रूप से दक्ष कर्मचारियों की सूची बनाकर अपने कार्यस्थल पर तैनात रहने हेतु पाबन्द किया जावे और नावें, रस्से तथा अन्य उपकरण आदि की बाढ़ सम्भावित केन्द्रों पर उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। संभावित संकट की सूचनाऐं तत्काल राज्य स्तरीय आपदा नियंत्रण कक्ष व सभी सम्बन्धित विभागों को नियमित रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें व मुख्यालयों पर हर समय जिम्मेदार अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे।
3. **जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग** :– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। निचले क्षेत्रों से पानी निकालने हेतु पम्प सैटों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा जहां ज्यादा बाढ़ आने की सम्भावना है वहां व्यापक मात्रा में पम्प सैटों की व्यवस्था रखी जावे। इसके साथ ही पेयजल की व्यवस्था व पेयजल स्त्रोतों के क्लोरीफिकेशन की समुचित व्यवस्था की जावे, ताकि दूषित पेयजल जनित बीमारियां फैलने की सम्भावना न रहें।
4. **खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग** :– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। उचित मूल्य की दुकानों पर गेहूँ, केरोसीन, अन्य खाद्य सामग्री के भण्डारण, उसके वितरण की

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या 2275
दिनांक 20/5/19

1913
22/5/19

व्यवस्था व वितरण के स्थान का उल्लेख आदि सूचनाओं की पारदर्शिता के साथ–साथ उनकी उपलब्धता की व्यवस्था के लिए जिला रसद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जावें तथा बाढ़ की स्थिति में स्वैच्छिक संगठन भी पीडित व्यक्तियों तक समय रहते पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जावे।

5. <u>स्थानीय निकाय विभाग</u> :– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। शहर की सड़कों की मरम्मत एवं नालों की सफाई की व्यवस्था 15 जून से पूर्व कर ली जावे। निचले स्तर से प्रभावित व्यक्तियों/बस्तियों को ऊंचे क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने हेतु वहां स्थित धर्मशाला, सार्वजनिक स्थल आदि को चिन्हित करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि बाढ़/वर्षा के एकत्रित पानी को निकालने के लिए पम्प सैटों का प्रबन्ध करना, मृत पशुओं, मलवा, कचरा आदि को हटाने एवं सुरक्षात्मक स्वास्थ्य उपाय, जैसे–मलेरियारोधी उपाय, कटे हुए फलों और सब्जियों को खुले में विक्रय पर प्रतिबन्ध आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
6. <u>चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग</u> :– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। जीवन रक्षक दवाईयां, बाढ़ के समय आवश्यकतानुसार मोबाईल चिकित्सा दल के गठन की व्यवस्था की जावे। बाढ़ के दौरान तथा उसके उपरान्त फैलने वाली बिमारियों जैसे–हैजा, पीलिया, मलेरिया, त्वचा सम्बन्धी बिमारियां, फूड पॉइजनिंग आदि के इलाज हेतु पर्याप्त मात्रा में दवाईयां उपलब्ध रखी जावें। दूषित जल से बचाव व क्लोरिन की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए।
7. <u>भारत संचार निगम</u> :– सभी जिलों में जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष का टॉल फ्री नम्बर 1077 को निरन्तर दुरूस्त रखा जावे तथा आपदा की स्थिति में भी संचार व्यवस्था अबाधित रखने की व्यवस्था कराई जावे। आवश्यकता होने पर मोबाईल टावर्स स्थापित करने का प्रबंध किया जावे।
8. <u>डाक एवं तार विभाग</u> :– जलभराव/बाढ़ के दौरान टेलीग्राम व पोस्टल व्यवस्था हेतु विशेष व्यवस्था की जावें।
9. <u>पुलिस विभाग</u> :– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। होमगार्ड एवं आर.ए.सी. की प्रशिक्षित व अन्य कम्पनियां तैयार रखी जावे। पर्याप्त मात्रा में तैराक एवं नावों की व्यवस्था तथा गोताखोरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जावे। पर्याप्त जीवन रक्षक यंत्रों जैसे जैकिट, रस्से, टार्च, संचार तंत्र, कानून व्यवस्था इत्यादि की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए। यदि बचाव यंत्र किराये पर मिलते हों तो उनकी दरें, निविदा आमंत्रित कर पूर्व से ही प्राथमिकता से निर्धारित कर लें और उनको पाबन्द कर दें, ताकि बाढ़ से सम्भावित स्थानों पर उनका उपयोग तत्परता से किया जा सके। **आवश्यकतानुसार गोताखोरों को प्रशिक्षण दिया जावे, ताकि आवश्यकता पड़ने पर गोताखोरों की कमी नहीं पड़े तथा कन्टीजेन्सी प्लान तैयार कर इस विभाग को भिजवाया जावे।** गत वर्षों में एस.डी.आर.एफ. मद से उपलब्ध कराए गए उपकरणों की सूची तत्काल उपयोग की दृष्टि से तैयार रखें तथा यथा आवश्यक प्राथमिकता पर उपलब्ध करावें।
10. <u>राज्य आपदा मोचन बल (SDRF)</u> :– प्रदेश में राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF) को 08 कम्पनियों में विभाजित कर आपदा मोचन हेतु राज्य के समस्त संभाग मुख्यालयों यथा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर एवं 01 कम्पनी बटालियन मुख्यालय जयपुर में नियोजित की गई है, जो कि आपदा के समय अपनी विशेष सेवायें

प्रदान करेंगे। राज्य आपदा प्रतिसाद बल (SDRF) के पास बाढ़ राहत व बचाव हेतु Inflatable boat, Fibre rescue boat, Rope Synthetic kernmantle rope, एवं अन्य उपकरण उपलब्ध है, इनकी सेवायें पूरे राज्य को उपलब्ध होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त विषम परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की सेवायें भी प्राप्त की जा सकती है। राज्य को सेवा प्रदान करने के लिए अधिकृत NDRF की बटालियन का मुख्यालय गांधीनगर (गुजरात) में हैं तथा राजस्थान में नारोली, जिला अजमेंर में स्थित NDRF टीम जिसके Dy. Comdt. Sh.A.S. Chauhan, (मो. 9414005412) है की सेवाये भी प्राप्त की जा सकती है।

आपदा के समय त्वरित रेस्पोन्स हेतु राज्य आपदा मोचन बल अपनी प्रशिक्षित टीम, आवश्यक साज–सामान व उपकरण तथा घटना स्थल पर त्वरित रूप से पहुंचने हेतु संसाधन के संबंध में सभी पूर्व आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करें।

11 <u>विद्युत वितरण निगम</u> :– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। बाढ़ की स्थिति होने पर विद्युत व्यवस्था को सुचारू रखने हेतु आवश्यक उपकरण पोल, कण्डक्टर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। यदि कहीं पर ट्रान्सफारमर जमीन पर पड़े हैं तो उन्हें डी.पी. पर रखवाया जावे। ढ़ीले तारों को कसा जाये व कनेक्शनों को टाईट किया जाए।

12 <u>जिला आपदा प्रबन्धन प्रकोष्ठ</u> :– सभी जिला कलक्टर अपने जिलों का आपदा प्रबन्धन एक्शन प्लान एक बार रिव्यू कर लें। जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठकें कर लेवें। सेना एवं वायु सेना के साथ सामन्जस्य स्थापित कर लें। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ, संभावित खतरे वाले स्थानों का दौरा कर लें, ताकि स्थितियों का पूर्व आभास रहे साथ ही साप्ताहिक समीक्षा बैठकें अवश्य रखी जावें। सभी महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बरों की सूची बनाकर आपदा प्रबन्धन से जुड़े सभी कर्मचारियों/अधिकारियों को उपलब्ध करावें तथा जिले की वेबसाईट पर डालें। अपनी वेबसाईट को अपडेट भी करें। IDRN Website को भी update करें।

13 <u>पशुपालन विभाग</u> :– बाढ़ के समय पशुओं में फैलने वाली बीमारियों के इलाज के लिए पर्याप्त दवाईयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा नावों एवं गोताखोरों की सूची तैयार कर आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग को भिजवाई जावे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चारे, पशु आहार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए एवं मृत पशुओं का सुरक्षित निस्तारण करने का स्थान भी सुनिश्चित करें।

14 <u>सार्वजनिक निर्माण विभाग</u> :– वर्षाकाल में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जावे। ऐसे सार्वजनिक भवनों की पहचान की जाए जो वर्षाकाल में गिर सकते हैं। इनकी मरम्मत करवाना, अनुपयुक्त पाये जाने पर उनको गिरा देना। सड़क मार्ग से गुजरने वाले नदी–नाले, रपट, कलवर्ट आदि पर होकर वर्षा का पानी बह रहा हो, तो उन स्थानों को चिन्हित कर दोनों और साईनबोर्ड लगाकर यातायात प्रतिबन्धित किया जाये। संभावित खतरों वाले रपट, पुलियाओं पर लोहे की जंजीर की व्यवस्था की जावे।

सभी जिला कलक्टर सभी विभागों की रिव्यू मीटिंग आयोजित कर यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त निर्देशानुसार कार्य हो चुके हैं या नहीं, यदि नहीं तो आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करावें तथा कन्टीजेन्सी प्लान तैयार कर इस विभाग को भिजवाया जावे।

सभी जिला कलक्टर्स को जिला आपदा प्रबन्धन योजनाओं को अपडेट करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं कि 15 जून, 2019 तक सभी जिलों की आपदा प्रबन्धन योजनाऐं अपडेट

कर इस कार्यालय को सोफ्ट कॉपी (सीडी) भिजवायें तथा आईडीआरएन की वेबसाईट में उपलब्ध सूचनाओं को आदिनांक अपडेशन करें। जिला कलेक्टर 15 जून, 2019 से पूर्व सभी आवश्यक तैयारियां कर इस विभाग को अवगत करावें।

अतः सभी सम्बन्धित विभागों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अधीनस्थ जिला अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें और स्पष्ट रूप से आगाह कर देवें कि आने वाले मानसून के समय बिना जिला कलक्टर की अनुमति के वे मुख्यालय नहीं छोड़ें और विभागीय वांछित सामग्री/उपकरणों के साथ सम्पर्क में रहें। सभी सम्बन्धित अधिकारियों के नाम पद, टेलीफोन नम्बर व पते जिला कलक्टरों के पास उपलब्ध रहने चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे वांछित सहयोग प्राप्त किया जा सके। यदि कोई आपदा आती है, तो जिला प्रशासन के साथ मिलकर उसका निराकरण त्वरित गति से करवायेंगे।

सभी विभागाध्यक्षों तथा जिला कलक्टरों को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग द्वारा बाढ़ संहिता की प्रति पूर्व में भिजवाई गयी है। बाढ़ संहिता आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग की Website "dmrelief.rajasthan.gov.in" पर भी उपलब्ध है। इसमें बाढ़ के समय की जाने वाली कार्यवाही के विस्तृत दिशा–निर्देश सभी विभागाध्यक्षों एवं जिला कलक्टर्स को दिये गये हैं। बाढ़ संहिता के अध्याय 2 के बिन्दु संख्या vii पर सम्बन्धित विभागों के लिए अंकित निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। राज्य की आपदा प्रबन्धन योजना भी वेब–साईट पर उपलब्ध है जिसके भाग–2 में बाढ़ बचाव कार्यों का विभागवार सम्पूर्ण उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

शासन सचिव

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आ.प्र.,सहायता एवं ना.सु. विभाग, राज0 जयपुर।
3 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4 समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5 समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6 समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
7 समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
8 मुख्य अभियंता, सिंचाई/सा.नि.विभाग/राज.राज्य विद्युत वितरण निगम /जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9 निदेशक, मौसम विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10 निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/पशुपालन राजस्थान, जयपुर।
11 अति. महानिदेशक पुलिस, राज्य आपदा प्रतिसाद दल (SDRF), जयपुर।
12 निदेशक, निदेशालय जन सम्पर्क, जयपुर।
13 Dy. Comdt. E/6 BN NDRF, GRP Quarters Opposite 11 RAC BN, P.O. Nareli District Ajmer.

संयुक्त शासन सचिव

D:\Flood\Flood 2019\Flood 2019 (1).docx

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर

क्रमांक :प.8 (युवा.)अकाद/आकाशि/16–II/302 दिनांक : 7 जून, 2019

पृष्ठांकित प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें ।
2. संयुक्त निदेशक, प्रशासन को उनके यूओ नोट क्रमांक 3695 दिनांक 23.5.2019 के क्रम में ।
3. वेब प्रभारी, आकाशि, जयपुर को अपलोड करने हेतु ।
4. रक्षित पत्रावली

7/6/19

(डा0 आर0 सी0 मीना)
संयुक्त निदेशक, अकादमिक